<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 08/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एलआईएएल/लखनऊ/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 08/2022-23

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 16 जून, 2022

सेवा	**: एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**: लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ**
हवाईअड्डा प्रचालक	**: लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएलआई)**

लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए 1.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

<u>एलआईएएल की प्रस्तुति:</u>

1. लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) ने दिनांक 22 फरवरी, 2022 के अपने पत्र संख्या एलआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2022/1 द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में दिनांक 15.05.2022 से **एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाएं** प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि उसे 2200/- रूपए प्रति किलोलीटर तदर्थ ईंधन अवसंचरना प्रभार (एफआईसी) लगाने की अनुमति दी जाए।

   दिनांक 22 फरवरी, 2022 के अपने पहले के पत्र के क्रम में एलआईएएल ने दिनांक 01 मार्च, 2022 के पत्र संख्या एलआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2022/3 और दिनांक 04 मार्च, 2022 के एलआईएएल/सीओ/ऐरा-आईटी/2022/4 द्वारा सीसीएसआईए, लखनऊ में प्रस्तावित सेवाएं प्रारंभ करने के लिए प्रमुख समय-सीमाएं प्रस्तुत की हैं तथा प्रस्तावित सेवाओं से संबंधित **कैपेक्स** और **ओपेक्स** का विवरण भी उपलब्ध किया है।

एलआईएएल ने आगे कहा है कि:

(i) एलआईएएल और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच किए गए रियायत करार के खंड 19.3 के अनुसार एलआईएएल हवाईअड्डे पर ईंधन की सभी आपूर्तियों के लिए समान/निर्बाध प्रवेश आधार पर पारदर्शी और भेदभाव रहित तरीके से ईंधन स्टोरेज और ईंटो-प्लेन सेवाओं (विमान में ईंधन भरना और ईंधन खाली करना) के लिए अपेक्षित अवसंरचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

(ii) इस समय सीसीएसआईए, लखनऊ में आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आरआईएल नामक विभिन्न तेल विपणन कंपनियां प्रचालनरत हैं। इन कंपनियों ने विभिन्न एयरलाइनों के साथ विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की बिक्री करने की संविदाएं की हैं और ये तेल विपणन कंपनियां अपनी स्वयं की स्थाई स्टोरेज सुविधाओं और पुन: ईंधन भरने के बाउज़र से ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं के साथ-साथ एटीएफ का विक्रय भी करती है। इन प्रचालनों की लागत एटीएफ की कीमत में शामिल की हुई है।

(iii) निर्बाध प्रवेश के बाद तेल विपणन कंपनियां विमानों के लिए ईंधन आपूर्तिकर्ता बनी रहेगी लेकिन एलआईएएल से निर्बाध प्रवेश स्टोरेज और आईटीपी सेवाएं प्राप्त करेगी।

(iv) निर्बाध प्रवेश के लिए दीर्घकालिक योजना के रूप में एलआईएएल हाइड्रंट प्रणाली के साथ–साथ ग्रीनफील्ड एकीकृत ईंधन फार्म तैयार कर रही है जो बाद में यथासमय सामने आएगा। इस बीच एलआईएएल समग्र दक्षता लाने और समय पर तथा लागत प्रभावी तरीके से ईंधन भरने की सेवाएं प्रदान करने के लिए ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए वार्षिक प्रारंभिक निर्बाध प्रवेश की सुविधा शुरू करना चाहती है।

(v) एलआईएएल ने हवाईअड्डे पर स्थित आईओसीएल और आरआईएल की स्थाई परिसंपत्तियों को अधिकार में लेने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। हस्तांतरण करार किए जाने और तेल विपणन कंपनियों को तय की गई राशि का भुगतान किए जाने के उपरांत हवाईअड्डा प्रचालक पूर्वोक्त सुविधाओं का मालिक हो जाएगा। एलआईएएल जब तक अपना स्वयं का बेडा नहीं खरीद लेती तब तक के लिए आईओसीएल और आरआईएल से मोबाइल बाउज़र लीज़ पर प्राप्त करने के लिए भी व्यवस्था कर रही है।

(vi) एलआईएएल स्टोरेज सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए तथा एयरलाइनों के लिए स्टोरेज सुविधाओं से ईंधन की आपूर्ति करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के लिए प्रभार लगाएगी। ये तेल विपणन कपंनियां स्टोरेज सुविधाओं और एयरलाइनों के लिए स्टोरेज सुविधाओं से ईंधन की आपूर्ति के लिए एलआईएएल द्वारा तेल विपणन कपंनियों के लिए राशि वसूल करने सहित ईंधन की आपूर्ति के लिए एयरलाइनों से मिश्रित प्रभार वसूल करती है।

(vii) दिनांक 01 मार्च, 2022 के पत्र द्वारा प्रावधान किए अनुसार निर्बाध प्रवेश सुविधा शुरू करने की समय-सीमा इस प्रकार है:

प्रमुख कार्य	**समय-सीमा**
आईओसीएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना	21 जनवरी, 2022
रिलायंस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना	9 फरवरी, 2022
ईंधन आपूर्ति और निर्बाध प्रवेश सुविधा का प्रयोग करने के लिए और सभी तेल विपणन कंपनियों के साथ सेवा करार करना और मोबाइल ब्राउज़र लीज पर लेने के लिए आईओसीएल तथा आरआईएल के साथ करार पर हस्ताक्षर करना	30 अप्रैल, 2022
सभी विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना	10 मई, 2022
हस्तांतरण करार पर हस्ताक्षर करना एवं तय की गई राशि का भुगतान करना	10 मई, 2022
निर्बाध प्रवेश सुविधा से प्रचालन प्रारंभ करना।	15 मई, 2022

(viii) एलआईएएल ने सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (टीसीपी) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभार सहित वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए संशोधित बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) 10 जनवरी, 2022 को प्रस्तुत कर दिया है।

(ix) एलआईएएल ने 100.8 करोड़ रूपए के अनुमानित कैपेक्स सहित ग्रीनफील्ड एकीकृत ईंधन फार्म विकसित करने का प्रस्ताव किया है। ग्रीनफील्ड ईंधन फार्म सुविधा वित्त वर्ष 2023-24 तक पूर्ण किए जाने का अनुमान है। एकीकृत ईंधन फार्म सुविधा चालू करने के बाद ईंधन स्टोरेज क्षमता 1000 किलोलीटर से बढ़ कर 5000 किलोलीटर हो जाएगी।

(x) चूंकि अंतिम रूप से टैरिफ निर्धारित करने में समय लगेगा, इसलिए इस बीच एलआईएएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ अनुमोदित किए जाने तक एलआईएएल को 15 मई, 2022 से तदर्थ आधार पर प्रति किलोलीटर 2200/- रूपए की दर से एफआईसी की वसूली करने की अनुमति दें। तत्पश्चात एलआईएएल ने सेवा प्रारंभ करने की संशोधित समय-सीमा, अर्थात 16 जून, 2022 प्रस्तुत कर दी है।

<u>प्रधिकरण द्वारा एलआईएएल के अनुरोध की जांच:</u>

2. एलआईएएल के अनुरोध की प्रारंभिक समीक्षा करने पर प्राधिकरण को ज्ञात हुआ है कि एलआईएएल ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ दिनांक 14.02.2020 को 50 वर्ष के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्राधिकरण की अन्य टिप्पणियां इस प्रकार है:

(i) एएआई के साथ किए गए रियायत करार के खंड 19.3 के अनुसार एलआईएएल सीसीएसआईए, लखनऊ में समान प्रवेश आधार पर ईंधन भरने की सेवाएं प्रचालित करने के लिए अपेक्षित अवंसरचना उपलब्ध कराए। यह खंड नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"रियायतग्राही हवाईअड्डे पर सभी विमानों के लिए समान प्रवेश आधार पर पारदर्शी और भेदभाव रहित तरीके से ईंधन भरने की सेवाएं प्रचालित करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध करेगा या करवाएगा। इस अवसंरचना में इस करार के प्रावधानों, लागू विधियों और मान्य उद्योग पद्धति के अनुसार टैंक संरचना और संबद्ध सुविधाएं शामिल होगी।"

(ii) एलआईएएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्राधिकरण को ज्ञात हुआ है कि एलआईएएल ने ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं से संबंधित आवश्यक सुविधाओं को अधिकार में लेने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) नामक तेल विपणन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। निर्बाध प्रवेश लागू होने के बाद एयरलाइनों से मिश्रित प्रभावों की वसूली के बदले तेल विपणन कंपनियां एयरलाइनों के लिए ईंधन आपूर्तिकर्ता बनी रहेगी। परंतु तेल विपणन कंपनियां एलआईएएल से निर्बाध प्रवेश स्टोरेज और आईटीपी सेवाएं प्राप्त करेगी, जिसके लिए तेल विपणन कंपनियां एलआईएएल को प्रस्तावित ईंधन अवसंरचना प्रभार का भुगतान करेगी।

(iii) प्राधिकरण नोट करता है कि एलआईएएल ने सीएसआईए, लखनऊ के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभार सहित वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) 10 जनवरी, 2022 को प्रस्तुत कर दिया था। तत्पश्चात एलआईएएल ने दिनांक 22 फरवरी, 2022 के पत्र द्वारा एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए अलग से अनुरोध पेश किया।

3. प्राधिकरण ने जांच के बाद एलआईएएल से 2200/-रूपए प्रति किलोलीटर के प्रस्तावित ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी) का विवरण मांगा। इसके जवाब में एलआईएएल ने दिनांक 06 अप्रैल, 2022 की ई-मेल द्वारा संबद्ध शर्तों एवं निबंधनों के साथ एफआईसी और आईटीपी सेवा प्रभार में प्रस्तावित प्रभार का विवरण देते हुए नीचे बताए अनुसार संशोधित दर चार्ट प्रस्तुत किया है:

ईंधन अवसरंचना प्रभार (एफआईसी)	**विमान में ईंधन भरना**	**विमान का ईंधन खाली करना**	**पदार्थ को खाली करने सहित विमान में पुन: ईंधन भरना**	
			24 घंटे के भीतर	24 घंटे के बाद
1650 रूपए प्रति कि.ली.	550 रूपए प्रति कि.ली	300 रूपए प्रति कि.ली	350 रूपए प्रति कि.ली	400 रूपए प्रति कि.ली

अन्य शर्तें एवं निबंधन

क) दर में लागू जीएसटी शामिल नहीं है।

ख) भुगतान की शर्तें और विलंबित भुगतान की शर्तें एलआईएएल और तेल आपूर्तिकर्ताओं के बीच किए गए आपूर्तिकर्ता/ सेवा करार के अनुसार होगी।

4. प्राधिकरण के निदेश पर एलआईएएल ने निर्बाध प्रवेश सुविधा से प्रचालन प्रारंभ करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए निम्नानुसार संशोधित समय-सीमा बताई है:

प्रमुख कार्य	**समय-सीमा/स्थिति**
आईओसीएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना	अनुपालन किया गया
रिलायंस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना	अनुपालन किया गया
ईंधन की आपूर्ति और निर्बाध प्रवेश सुविधा के प्रयोग के लिए सभी तेल विपणन कंपनियों के साथ सेवा करार पर हस्ताक्षर करना	मसौदा करार तैयार है। एक बार प्राधिकरण से टैरिफ का अनुमोदन प्राप्त कर लेने पर तदनुसार हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रस्तावित सुरक्षा जमा राशि टैरिफ पर निर्भर करेगी।
मोबाइल बाउजर लीज़ पर देने के लिए आईओसी और आरआईएल के साथ करार	आरआईएल और आईओसीएल दोनों को कार्य सौंपने संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है।
सभी विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना	बीसीएएस और डीजीसीए से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अनुमोदन शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।
हस्तांतरण करार पर हस्ताक्षर करना एवं तय की गई राशि का भुगतान करना।	आईओसीएल और रिलायंस के साथ समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसका समापन हो गया है। हस्तांतरण करार पर हस्ताक्षर करना और तय की गई राशि का भुगतान करना बाद का कार्य है और इससे प्रचालन प्रारंभ करने में कोई अड़चन नहीं होगी।
निर्बाध प्रवेश सुविधा से प्रचालन प्रारंभ करना।	विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर 16 जून, 2022

5. एलआईएएल द्वारा तेल विपणन कंपनियों की पुरानी परिसंपत्तियों को अधिकार में लेने की लागत के संबंध में एलआईएएल ने दिनांक 26.03.2022 की ई-मेल द्वारा यह स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों की परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास के प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद प्रतिस्थापन लागत पर अधिकार में लिया जाएगा।

6. प्राधिकरण नोट करता है कि एलआईएएल के तदर्थ दरों (2200/- रूपए प्रति कि.ली. के एफआईसी) के प्रस्ताव में एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए निर्बाध प्रवेश सुविधा शुरू करने के लिए एलआईएएल द्वारा प्रस्तावित कैपेक्स को ध्यान में रखा गया है। परंतु प्राधिकरण यह महसूस करता है कि चूंकि ग्रीनफील्ड एकीकृत ईंधन फार्म वित्त वर्ष 2023-24 तक पूरा किए जाने का अनुमान है, इसलिए इस स्तर पर तदर्थ टैरिफ दरें निर्धारित करने के लिए भावी सुविधाओं के कैपेक्स को मानना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। प्राधिकरण सीसीएसआईए, लखनऊ में क्षमता सृजन, कैपेक्स की कार्य दक्षता, उपलब्ध क्षमता के भीतर सुविधा के वास्तविक उपयोग और हवाई यातायात की मात्रा की अभी तक की स्थितियों को ध्यान में रखकर वैमानिक सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करते समय साकल्यवादी दृष्टिकोण से इसकी जांच करेगा।

7. प्राधिकरण के उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार एलआईएएल द्वारा एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए प्रस्तावित 2200/- रूपए प्रति कि.ली. की तदर्थ टैरिफ दरें हवाईअड्डे पर उपलब्ध वर्तमान सुविधा को देखते हुए औचित्यपूर्ण नहीं है। प्राधिकरण को यह भी ज्ञात है कि एलआईएएल तेल विपणन कंपनियों से मूल्यह्रास हुई परिसपंत्तियों को अधिकार में ले रही है और उस ग्रीनफील्ड सुविधा का कैपेक्स तैयार किया है जो वित्त वर्ष 2023-24 में ही सामने आएगी।

प्राधिकरण नोट करता है कि एलआईएएल ने अपनी शीघ्र ही प्रस्तावित सेवाओं के लिए डीजीसीए और बीसीएएस से अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पुष्टि कर दी है, इसलिए प्राधिकरण 01.07.2022 से प्रस्तावित सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ को मानने का निर्णय करता है।

8. उपर्युक्त को देखते हुए अंतरिम उपाय के तौर पर प्राधिकरण अन्य प्रमुख हवाईअड्डों के अन्य स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/ हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रचालित समान प्रकार की सुविधाओं के लिए अनुमोदित टैरिफ के आधार पर एलआईएएल को 01.07.2022 से 31.03.2023 तक या सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संलग्नक-I के अनुसार तदर्थ टैरिफ लगाने की अनुमित देने का निर्णय लेता है।

एलआईएएल द्वारा अंतरिम अवधि में तदर्थ आधार पर संग्रहित राजस्व प्राधिकरण द्वारा एलआईएएल के टैरिफ निर्धारण कार्य के दौरान हिसाब में लिया जाएगा।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) को **01.07.2022 से 31.03.2023 तक** या सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संलग्नक-I के अनुसार एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमित देने का निर्णय लेता है।

(ii) यह आदेश सीसीएसआईए, लखनऊ में प्रस्तावित एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाएं प्रारंभ होने से पूर्व सभी अपेक्षित विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रभावी किया जाएगा।

(iii) ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री मनोज चांदुका,
लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
प्रथम तल, टर्मिनल **I,** चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
लखनऊ -226009 उत्तर प्रदेश, भारत

<u>प्रतिलिपि,</u>

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – **110 003**

(ii) श्री. बलवीर सिंह भाटिया, मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, प्रथम तल, टर्मिनल **I,** चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ -226009 उत्तर प्रदेश, भारत

संलग्नक – I

लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए अनुमोदित तदर्थ टैरिफ।

(01.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए लागू)

(राशि रूपए में प्रति कि.ली.)

ईंधन अवसंरचना प्रभार	**विमान में पुन: ईंधन भरना**	**विमान का ईंधन खाली करना**		**विमान का पदार्थ खाली करना और विमान में पुन: ईंधन भरना**	
		6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद	6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद
470	200	200	300	250	300

नोट: इसमें अनुमोदित दरें उच्चतम दरें हैं, इनमें सभी लागू सरकारी कर यदि कोई हो शामिल नहीं है।